संख्या-66/2807जेएल/22-3-14-800(63)/2011

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2014***

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी अगरदू यादव पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी ग्राम-गोसाईपुर, थाना-चोलापुर खाला, जनपद-वाराणसी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के बंदी अगरदू यादव पुत्र श्री वैजनाथ, निवासी ग्राम-गोसाईपुर, थाना-चोलापुर खाला, जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-12/1445जेएल/22-3-14-800(63)/2011, दिनांक 05-09-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-66/2807जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in